राजस्व लोक अदालत कैम्प तिलवाडा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 119/2018

Rcms. 2018/01413

वादीगण :– 1 ढलाराम पुत्र प्रभुराम भील निवासी तिलवाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांकः–17.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत तिलवाडा प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम जोगेश्वर महादेव के विवादित ख0न0 241 रकबा 64.18 बीघा मे अवस्थित है जिसमें फौतगीं म्यटेशंन संख्या 1001दर्ज करते समय वादी का नाम लिपिकीय त्रुटि से कलाराम पुत्र प्रभुराम दर्ज हो गया है, जो अशुद्व नाम है। जबकि सरकारी दस्तावेजात में सही व शुद्व नाम ढलाराम पुत्र प्रभुराम है। जिसको सही व शुद्व नाम ढलाराम पुत्र प्रभुराम करने हेतु ने निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश वाद के साथ के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, व पटवारी तिलवाडा उप तहसीलदार जसोल व उपस्थित गवाह क्रमशः ढलाराम के ब्यानो की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम जोगेश्वर महादेव के विवादित ख0न0 241 रकबा 64.18 बीघा में वादी का नाम कलाराम पुत्र पभुराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में ढलाराम पुत्र प्रभुराम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है में वादीनी का नाम कलाराम पुत्र प्रभुराम के स्थान पर ढलाराम पुत्र प्रभुराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner